

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत 530 मुकाम बडीसादडी
मूलजमेद वनाम हजमाल
 किस्म मुकदमा वादा 53 नं. 61 सन 2018

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
------------	-----------------------------------	--

25⁵/₁₈

राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 2018 के तहत कैम्प कोर्ट लक्ष्मीपुरा पर प्रार्थी द्वारा इस आशय का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 आर. टी. एक्ट के तहत पेश किया कि मौजा मुकदपुरा की खाता सं 71 के हजमाल 224 का मौजे एवं कबजा शत्रुघर विशालन करपा जावे।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर वादी एवं प्रतिवादी को सुना गया। प्रतिवादी द्वारा कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई गई।

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि मौजा मुकदपुरा की खाता सं 71 की खा. सं. 224 का विशालन शत्रुघर विशालन किया जावे।

① मूलजमेद 50 केरा काक्षण रदन बदलना

<u>224 मी</u>	<u>0.52</u>	<u>17.16</u>
<u>1</u>	<u>0.52</u>	<u>17.16</u>

② हजमाल 50 केरा काक्षण

<u>224/1</u>	<u>0.53</u>	<u>17.49</u>
<u>1</u>	<u>0.53</u>	<u>17.49</u>

इसी अनुसार डिक्री जारी की जाकर पालना हेतु तहसीलदार बडीसादडी को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शमार होकर नम्बर से कम हो।

(जितेन्द्र कुमार पाण्डे)

RAS

पीठकीन अधिकारी, लोक अदालत

राजस्थान अभियान के तहत

